



F-07-07

**सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.

**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1890 /Type Approval No. 1890**

**मद/FOR ITEM: सैलूलोज़ फिनिश पेंट डीटीडी-899ए (व्हाइट)**

**CELLULOSE FINISH PAINT DTD – 899 A (WHITE)**

यह प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स टोयो पैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.671/177/2ए, बिलेकहल्ली, आईओसी पेट्रोल बंक के पीछे, बन्नरघट्टा रोज, बेंगलूरु – 560 076 द्वारा विकसित तथा उत्पादित “ सैलूलोज़ फिनिश पेंट डीटीडी-899ए (व्हाइट)” को डीटीडी 899ए, के अनुसार मेसर्स एच ए एल द्वारा निर्मित फिक्सेड विंग वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर. सी. एम. ए (वायुयान) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. टोयो/एचएएल/046/2012-13, दिनांक 12 सितंबर 2012, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए'में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to Certify that the “Cellulose Finish Paint DTD – 899 A (White)”, Developed & Produced by M/s. Toyo Paints Private Limited, No. 671/177/2A, Bilekahalli, Behind IOC Petrol Bunk, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 076 is here by approved for production as per DTD 899A for use in M/s. HAL build fixed wing aircraft. It has been tested as per Test Schedule Doc No.: TOYO/HAL/046/2012-13, Dated: 12<sup>th</sup> September 2012, in co-ordination with RCMA (Aircraft). It has met the requirements as detailed in the Type Record Compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर. सी. एम. ए (वायुयान) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।


*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'  
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1890  
दिनांक/Date : 20 June 2016  
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856



  
(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)